Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Chairman of governing council of District Mineral Foundation in Maharashtra-laid.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): खान और खनिज (विकास और विनियमन), अधिनियम 1957 के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन (डिस्ट्रिक मिनिरल फाउंडेशन) की स्थापना की गई है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने एफ.नं. 7/9/2021-एम 4, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 के माध्यम से देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश निर्गत किए हैं कि जिला खनिज फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष सम्बद्ध जिले का जिला कलेक्टर होगा ।

लेकिन, खेद है कि केन्द्र सरकार के उपर्युक्त आदेश का राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है तथा राज्य सरकार सम्बद्ध जिलो में जिला खनिजफाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष राज्य के पालक मंत्री को नियुक्त कर केन्द्रीय शासनादेश का घोर उल्लंघन कर रही है, जो उचित नहीं है ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकारों विशेषत: महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के उपर्युक्त आदेश का क्रियान्वयन किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं ।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि केन्द्र सरकार जिला खनिज फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष जिला कलेक्टर के स्थान पर सम्बद्ध जिले के लोक सभा जन-प्रतिनिधि को नियुक्त किए जाने के दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाएं ।